

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
16, गूमल टावर, उदयपुर
GOVERNMENT OF INDIA
Office of The
Commissioner of Income Tax
Udaipur

**विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -**

वागड़ मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 16.12.2002 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2005 को प्रस्तुत किया है।

~~यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयबद्धि में है।~~

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के देरी माफी का आवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 16.12.2002 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा - 12ए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 48/50 पर दर्ज कर लिया गया है।



ह
(एम0 एस0 मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12ए/2007-08/487

दिनांक : 19.06.2007

1. वागड़ मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा - 12ए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा - 11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रैंज-1, उदयपुर।

वागड़ मजदूर किसान संस्थान

(कुन्जुमन अब्राहम)
आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर